न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 109 / 2022

1 ओमप्रकाश
2 विनोद कुमार पुत्रगण स्व. गौरीशंकर जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की ढाणी तन देवरोड़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट्स

बनाम

1 मनोहरलाल पुत्र नत्थुराम
2 मांगेलाल पुत्र शीशपाल
3 नत्थुराम पुत्र श्योचन्दराम
4 श्रीराम पुत्र नत्थुराम समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की ढाणी तन देवरोड़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
5 मृतक गुलाबचन्द पुत्र नत्थुराम जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की ढाणी तन देवरोड़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
5 / 1 श्रीमती मोनिका स्त्री स्व. गुलाबचन्द जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की ढाणी तन देवरोड़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
5 / 2 भूमिका पुत्री गुलाबचन्द
5 / 3 पलक आयु 17 साल
5 / 4 खुसबु आयु 14 साल पुत्रियां स्व. गुलाबचन्द जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की ढाणी तन देवरोड़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं नाबालिग जरिये माता श्रीमती मोनिका स्त्री स्व. गुलाबचन्द जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की ढाणी तन देवरोड़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
6 पवनकुमार पुत्र नत्थूराम जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की ढाणी तन देवरोड़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
7 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
8 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नरहड़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक।
9 केनरा बैंक शाखा चिड़ावा जिला झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबंधक।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्तकारी अधि. 1955 अपील बखिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांकित 12.09.2011 व संशोधित आदेश दिनांक 29.05.2012 बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा जिला झुन्झुनूं मुकदमा उनवानी मनोहरलाल बनाम मांगेलाल वगै. मु.नं. 102/2011 दावा बाबत निरस्त किये जाने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2007 व आदेश दिनांक 07.07.2007

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बाबूलाल मील, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 12.1.26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 102/2011 में पारित निर्णय दिनांक 12.09.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 110 रकबा 1.38 है., खसरा नम्बर 111 रकबा 2.51 है., खसरा नम्बर 112 रकबा 1.27 है., खसरा नम्बर 113 रकबा 0.01 है. गैर मुमकिन कुआ, खसरा नम्बर 114 रकबा 2.70 है., खसरा नम्बर 181 रकबा 0.16 है., खसरा नम्बर 182 रकबा 0.24 है., खसरा नम्बर 183 रकबा 1.02 है., खसरा नम्बर 184 रकबा 1.04 है., खसरा नम्बर 185 रकबा 1.02 है. कुल किता 10 कुल रकबा 11.35 है. सरहद राजस्व ग्राम ढाणी ब्रहमणान पटवार हल्का देवरोड़ तत्कालीन तहसील चिड़ावा वर्तमान तहसील सुरजगढ़ में स्थित है। उक्त जमीन के विभाजन बाबत अपीलान्ट नम्बर 1 व 2 ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के समक्ष एक वाद पत्र उनवानी ओमप्रकाश बनाम मांगेलाल वगै. मु.नं. 165/2005 पेश किया। उक्त वाद पत्र मु.नं.

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

165/2005 को विचारण न्यायालय ने दिनांक 22.05.2007 को अंतिम रूप से डिक्री कर दिया। बाद में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 मनोहरलाल ने उपरोक्त जमीन के बाबत एक दुसरा वाद पत्र दिनांक 28.03.2011 को विचारण न्यायालय के समक्ष उनवानी मनोहरलाल बनाम मांगेलाल वगै. मु.नं. 102/2011 दावा बाबत निरस्त किये जाने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2007 व आदेश दिनांक 07.07.2007 पेश किया। उक्त वाद पत्र मु.नं. 102/2011 को विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से दिनांक 12.09.2011 को निर्णित कर डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि जमीन के बाबत पूर्व दावा मु.नं. 165/2005 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2007 व आदेश दिनांक 07.07.2007 के मुताबिक नामान्तकरण संख्या 266 दिनांक 04.06.2009 के माध्यम से पक्षकारान के मध्य जमीन का निर्णय व डिक्री के मुताबिक विधिवत विभाजन हो चुका था। मु.नं. 265/2005 में रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 नत्थुराम प्रतिवादी पक्षकार था। विचारण न्यायालय ने पूर्व दावा मु.नं. 265/2005 का निर्णय मैरिट पर पक्षकारान को सुनकर पारित किया था। मु.न. 265/2005 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2007 की अपील रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 ने सक्षम न्यायालय में नही की क्योंकि निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2007 से रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 नत्थुराम संतुष्ट था। मु.नं. 265/2005 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2007 की पालना राजस्व रिकार्ड में होने के बाद डिक्री से करीब चार वर्ष बाद एवं निर्णय व डिक्री की पालना के करीब दो वर्ष बाद रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 मनोहरलाल ने अपने अपने पिता नत्थुराम के जीवनकाल में उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2007 व आदेश दिनांक 07.07.2007 को निरस्त करवाने एवं रिकार्ड दुरूस्ती व विभाजन बाबत उसी न्यायालय में दिनांक 28.03.2011 को मु.नं. 102/2011 पेश किया। मु.नं. 102/2011 में प्रतिवादी पक्षकार रेस्पोडेन्ट नं. 1 के पिता प्रतिवादी नं. 4 व भाई

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रतिवादी नम्बर 5 से 7 है। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.05.2011 को प्रतिवादी नम्बर 4 से 7 ने जरिये वकील इकबाली जवाब दावा पेश किया है। मु.नं. 102/2011 में वादी मनोहरलाल व प्रतिवादी नम्बर 4 से 7 आपस में भाई व पिता होने के कारण आपस में मिल हुये थे। मु.नं. 102/2011 में कन्टेस्टेड पक्षकार अपीलान्ट नम्बर 1 व 2 तथा रेस्पोडेन्ट मांगेलाल थे। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट व मांगेलाल प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 थे। विचारण न्यायालय ने दिनांक 26.05.2011 को प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 की तामील चश्पांदगी से मानी जाकर प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही आदेश पारित कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस की तामील आदेश 05 नियम 17 से 20 सीपीसी के तहत पर्याप्त तामील नहीं थी। दावा में सर्वप्रथम अपीलान्टस की तलबी हेतु दिनांक 11.04.2011 को दिनांक 27.04.2021 को न्यायालय में हाजिर होने के लिये नोटिस जारी हुये। दिनांक 27.04.2011 तक अपीलान्ट तक अपीलान्ट के पास कोई नोटिस नहीं आये फिर उसी नोटिस में हाजिर तारीख दिनांक 27.04.2011 को कांट छांटकर हाजिर होने की तारीख दिनांक 04.05.2011 नोटिस में अंकित कर दी। विचारण न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 04.05.2011 की कोई आदेशिका अंकित नहीं है। दावा में दर्ज पक्षकारान के आपसी संबंधों से जाहिर है कि उक्त विचाराधीन निर्णय व डिक्री गलत रूप से अपीलान्टस को नूकसान कारित करने के लिए उनकी पीठ पीछे तथा उनकी बिना जानकारी के विचाराधीन निर्णय व डिक्री जारी करवाई है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने के कारण खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को वाद पत्र नम्बर 102/2011 पेश करने का अधिकार नहीं था। दावा में यह भी लिखा है कि प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने नत्थुराम से धोखाधड़ी करके काउन्टर क्लेम करवा दिया कानून से निर्णय व डिक्री जारी करने में जिस पक्षकार के साथ धोखाधड़ी हुई है वही पक्षकार उसी न्यायालय मे रिव्यु प्रार्थना पत्र

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पेशकर सकता है। नत्थुराम ही तरफ से धोखाधड़ी के तथ्य नहीं है तथा ना ही नत्थुराम ने उक्त आधार पर निर्णय व डिक्री खारिज करवाने के लिये रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया तथा ना ही विचाराधीन निर्णय व डिक्री की कोई अपील पेश की। दावा में दर्ज आधारों पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को दावा पेश करने का अधिकार नहीं था क्योंकि वह पूर्व दावा में पक्षकार नहीं था जो व्यक्ति दावा में पक्षकार ही नहीं वह व्यक्ति उसी न्यायालय में निर्णय व डिक्री निरस्त बाबत दावा पेश नहीं कर सकता। विचाराधीन निर्णय अपूर्ण व अस्पष्ट है पूर्व निर्णय व डिक्री को निरस्त नहीं किया। अपने पिता के जीवनकाल में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को दावा पेश करने का अधिकार नहीं था। दावा में घोषणा की रिलिफ नहीं चाही। धारा 152 सीपीसी के प्रार्थना पत्र भी अपीलान्ट को सुना नहीं गया। प्रभावित पक्षकारों की तामील पर्याप्त रूप से नही करवाई। धारा 152 सीपीसी के साथ कोई शपथ पत्र नहीं है। धारा 152 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं। धारा 152 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर हाजिर वकील के नो ऑब्जेक्शन के आदेशिका पर हस्ताक्षर नहीं। इस प्रकार विचाराधीन निर्णय व डिक्री तथा संशोधित आदेश निरस्त होने योग्य है। अपीलान्टस को अपील पेश करने में हुई देरी माफ की जाकर अपील अपीलान्टस अन्दर मियाद समाहत की जावें। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि जमीन हाल खसरा नम्बर 110 रकबा 1.38 है., खसरा नम्बर 111 रकबा 2.51 है., खसरा नम्बर 112 रकबा 1.27 है., खसरा नम्बर 113 रकबा 0.01 है. गैर मुमकिन कुआ, खसरा नम्बर 114 रकबा 2.70 है., खसरा नम्बर 181 रकबा 0.16 है., खसरा नम्बर 182 रकबा 0.24 है., खसरा नम्बर 183 रकबा 1.02 है., खसरा नम्बर 184 रकबा 1.04 है., खसरा नम्बर 185 रकबा 1.02 है. कुल किता 10 कुल रकबा 11.35 है. सरहद राजस्व ग्राम ढाणी ब्रहमणान पटवार हल्का देवरोड़ तत्कालीन तहसील चिड़ावा वर्तमान तहसील सुरजगढ़ में स्थित है। उक्त जमीन के विभाजन बाबत अपीलान्ट नम्बर 1 व 2 ने विचारण न्यायालय

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के समक्ष एक वाद पत्र उनवानी ओमप्रकाश बनाम मांगेलाल वगै. मु.नं. 165/2005 पेश किया। उक्त वाद पत्र मु.नं. 165/2005 को विचारण न्यायालय ने दिनांक 22.05.2007 को अंतिम रूप से डिक्री कर दिया। बाद में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 मनोहरलाल ने उपरोक्त जमीन के बाबत एक दुसरा वाद पत्र दिनांक 28.03.2011 को विचारण न्यायालय के समक्ष उनवानी मनोहरलाल बनाम मांगेलाल वगै. मु.नं. 102/2011 दावा बाबत निरस्त किये जाने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05. 2007 व आदेश दिनांक 07.07.2007 पेश किया। उक्त वाद पत्र मु.नं. 102/2011 को विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से दिनांक 12.09.2011 को निर्णित कर डिक्री कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपने पिता के हिस्से का भूमि का बंटवारा करवाना चाहता है परन्तु पूर्व वाद में अपने पिता से पूर्व वाद के वादी द्वारा काउन्टर क्लेम गलत करवा दिया जिस आधार पर काउन्टर क्लेम डिक्री हुआ व जबकि वादी के पिता का उक्त भूमि पर कब्जा ही नहीं है। काउन्टर क्लेम में भूमि खसरा नम्बर 181 व 182 दर्शाई है जिस पर वादी व प्रतिवादिया 1 लगायत 7 का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा। इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर 1 ने प्रतिवादी नं. 4 से धोखे से जवाब दावा व काउंटर क्लेम प्रस्तुत करवाकर वादी व प्रतिवादीगण को उसके कुल रकबा 0.40 है. भूमि से वंचित करवा दिया। भूमि खसरा नम्बर 181 व 182 पर वर्तमान केतागण जयसिंह व ललिता का कब्जा काश्त है। वादी व प्रतिवादीगण के नाम से उक्त आराजियात केवल राजस्व रिकार्ड में ही दर्ज है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट की बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। अपील 11 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद का

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीले सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में जमीन हाल खसरा नम्बर 110 रकबा 1.38 है., खसरा नम्बर 111 रकबा 2.51 है. , खसरा नम्बर 112 रकबा 1.27 है., खसरा नम्बर 113 रकबा 0.01 है. गैर मुमकिन कुआ, खसरा नम्बर 114 रकबा 2.70 है., खसरा नम्बर 181 रकबा 0.16 है., खसरा नम्बर 182 रकबा 0.24 है., खसरा नम्बर 183 रकबा 1.02 है., खसरा नम्बर 184 रकबा 1.04 है., खसरा नम्बर 185 रकबा 1.02 है. कुल किता 10 कुल रकबा 11.35 है. सरहद राजस्व ग्राम ढाणी ब्रहमणान पटवार हल्का देवरोड़ तत्कालीन तहसील चिड़ावा वर्तमान तहसील सुरजगढ़ में स्थित है। उक्त जमीन के विभाजन बाबत अपीलान्ट नम्बर 1 व 2 ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के समक्ष एक वाद पत्र उनवानी ओमप्रकाश बनाम मांगेलाल वगै. मु.नं. 165/2005 पेश किया। उक्त वाद पत्र मु.नं. 165/2005 को विचारण न्यायालय ने दिनांक 22.05. 2007 को अंतिम रूप से डिक्री कर दिया। बाद में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 मनोहरलाल ने उपरोक्त जमीन के बाबत एक दुसरा वाद पत्र दिनांक 28. 03.2011 को विचारण न्यायालय के समक्ष उनवानी मनोहरलाल बनाम मांगेलाल वगै. मु.नं. 102/2011 दावा बाबत निरस्त किये जाने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2007 व आदेश दिनांक 07.07.2007 पेश किया। उक्त वाद पत्र मु.नं. 102/2011 को विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से दिनांक 12.09.2011 को निर्णित कर डिक्री कर दिया।

विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित जमीन के बाबत पूर्व दावा मु. नं. 165/2005 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2007 व आदेश दिनांक 07.07.2007 के मुताबिक नामान्तकरण संख्या 266 दिनांक 04.06. 2009 के माध्यम से पक्षकारान के मध्य जमीन का निर्णय व डिक्री के मुताबिक विधिवत विभाजन हो चुका था।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

मु.नं. 265/2005 में रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 नत्थुराम प्रतिवादी पक्षकार था। विचारण न्यायालय ने पूर्व दावा मु.नं. 265/2005 का निर्णय मैरिट पर पक्षकारान को सुनकर पारित किया था। मु.न. 265/2005 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2007 की अपील रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 ने सक्षम न्यायालय में नही की क्योंकि निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2007 से रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 नत्थुराम संतुष्ट था। मु.नं. 265/2005 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2007 की पालना राजस्व रिकार्ड में होने के बाद डिक्री से करीब चार वर्ष बाद एवं निर्णय व डिक्री की पालना के करीब दो वर्ष बाद रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 मनोहरलाल ने अपने अपने पिता नत्थुराम के जीवनकाल में उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2007 व आदेश दिनांक 07.07.2007 को निरस्त करवाने एवं रिकार्ड दुरूस्ती व विभाजन बाबत उसी न्यायालय में दिनांक 28.03.2011 को मु.नं. 102/2011 पेश किया।

मु.नं. 102/2011 में प्रतिवादी पक्षकार रेस्पोडेन्ट नं. 1 के पिता प्रतिवादी नं. 4 व भाई प्रतिवादी नम्बर 5 से 7 है। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.05.2011 को प्रतिवादी नम्बर 4 से 7 ने जरिये वकील इकबाली जवाब दावा पेश किया है। मु.नं. 102/2011 में कन्टेस्टेड पक्षकार अपीलान्ट नम्बर 1 व 2 तथा रेस्पोडेन्ट मांगेलाल थे। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट व मांगेलाल प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 थे। विचारण न्यायालय ने दिनांक 26.05.2011 को प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 की तामील चश्पांदगी से मानी जाकर प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही आदेश पारित कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है।

विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस की तामील आदेश 05 नियम 17 से 20 सीपीसी के तहत पर्याप्त तामील नहीं थी। दावा में सर्वप्रथम अपीलान्टस की तलबी हेतु दिनांक 11.04.2011 को दिनांक 27.04.2021 को न्यायालय में हाजिर होने के लिये नोटिस जारी हुये। दिनांक 27.04.2011 तक तामील नहीं हुई, फिर उसी नोटिस में हाजिर तारीख दिनांक 27.04.2011 को कांट छांटकर हाजिर होने की तारीख दिनांक 04.05.2011 नोटिस में अंकित की गई है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 04.05.2011 की कोई आदेशिका अंकित नहीं है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को वाद पत्र नम्बर 102/2011 पेश करने का अधिकार नहीं था। दावा में यह भी लिखा है कि प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने नत्थुराम से धोखाधड़ी करके काउन्टर क्लेम करवा दिया। कानूनन निर्णय व डिक्री जारी करने में जिस पक्षकार के साथ धोखाधड़ी हुई है वही पक्षकार उसी न्यायालय मे रिव्यु प्रार्थना पत्र पेशकर सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण में पिता के जीवनकाल में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को दावा पेश करने का अधिकार नहीं था। दावा में घोषणा की रिलिफ नहीं चाही। धारा 152 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर भी अपीलान्ट को सुना नहीं गया। प्रभावित पक्षकारों की तामील पर्याप्त रूप से नही करवाई गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.01.2026 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 12.1.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर